कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 04/06//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 03.06.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना रेवतीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 57/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रितेश राय उर्फ बमभोला पुत्र स्व0 त्रिवेणी राय उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रेवतीपुर पट्टी बहोरिक राय थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर को (एक अदद करधनी सफेद धातु की, छः अदद सिक्का सफेद धातु की, दो जोडी पायल सफेद धातु की, एक लाकेट सफेद धातु की, एक चैन सफेद धातु की, एक जोडी बिच्छिया सफेद धातु की, एक तावीज सफेद धातु की तथा एक अदद सैमसंग कम्पनी का की-पैड मोबाईल कुल कीमत 45,000 रु0 लगभग के साथ) मुखबिर खास की सूचना पर रेवतीपुर भगवती माता मंदिर के गेट के पास से दिनांक 02.06.2024 को समय करीब 18.10 PM पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. रितेश राय उर्फ बमभोला पुत्र स्व0 त्रिवेणी राय उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रेवतीपुर पट्टी बहोरिक राय थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 620/12 धारा 377,511,323,504,506 भादवि थाना सुहवल जनपद गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 14/2019 धारा 457,380,411 भादवि थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 125/2020 धारा 323,504,506 भादवि थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर ।
4. मु0अ0सं0 52/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर ।
5. मु0अ0सं0 79/2022 धारा 380,411 भादवि थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर ।
6. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर

02. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 03.06.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/092 धारा 325/323/504/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण 1. हीरालाल पुत्र वंशनरायन 2. महेन्द्र पुत्र वंशी कुशवाहा 3. रामवृक्ष पुत्र वंशी कुशवाहा 4. रामविलास पुत्र मंगला समस्त निवासीगण रघुनाथपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 325, 34 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 15000 रुपये के अर्थदण्ड, प्रत्येक अभियुक्त को धारा 323,34 भादवि में 04 माह का साधारण कारावास एवं धारा 504 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

03. थाना – दिलदारनगर पुलिस द्वारा हत्या का आरोपी गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी जमानिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्र दिलदारनगर के ग्राम खजुरी मे दिनांक 02.06.2024 को समय 06.00 बजे प्रेम प्रंसग को लेकर चाकू से हमला करने के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2024 धारा 307 भादवि पंजीकृत हुआ। जिसमें मजरूब अब्बास खान पुत्र हसनैन खान निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर गाजीपुर की दौरान इलाज मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि की बढोत्तरी किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जुनैद खान पुत्र शाहनवाज खान निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर गाजीपुर को ग्राम खजुरी के निवासी ग्रामीणों द्वारा ईदगाह खजुरी से पकड़ कर थाना दिलदारनगर पर समय 20.30 बजे रात्रि लाया गया। जिसे गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्य़वाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. जुनैद खान पुत्र शाहनवाज खान निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर गाजीपुर

गिरफ्तारी का विवरणः-

गिरफ्तारी का समय 20.30 बजे

गिरफ्तारी का दिनांक 02.06.2024

गिरफ्तारी का स्थान – ईदगाह ग्राम खजुरी थाना दिलदारनगर

बरामदगी - अपराध मे प्रयुक्त एक अदद चाकू

अपराधिक इतिहासः

1.मु0अ0सं0 73/24 धारा 302 भादवि व 4/25 A Act थाना दिलदारनगर गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर